

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प. ६११९/नविति/८९/पाठ'

जयपुर, दिनांक:- १८ - ०३ - ०२

: परिपत्र :

इस विभाग के सभी आदेशों के अधिकारी विभागीय १३। १२। २००१ के अंतिम पैकी
के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिलिपि दिया जाता है:-

* यदि भूमि अदाएँ प्रति के अदाई में शामिल १५ प्रतिशत विकल्पित भूखण्डों
का बाजार मूल्य २५ लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे मामले राज्य सरकार को
त्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

४-८
४ रघु सत्. भारद्वाज
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आदेशक लार्यार्दी हेतु
प्रेषित है:-

१. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
२. विशिष्ठ, सहायक, समस्त माननीय मंत्री गण।
३. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
४. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
५. समस्त तंत्रानीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
६. आयुक्त, जयपुर विकास प्राप्तिकरण, जयपुर।
७. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बौटा।
९. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कूपया
अपने हताए हैं समस्त स्थानीय निकायों को लूपित करें।
१०. समस्त सचिव, नगर विकास न्याय,।

४-८
शासन उप सचिव

लेखराज/